राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील आबकारी संख्या – 1529/2015/उदयपुर

खड़ग सिंह पुत्र रायसिंह जाति जाट
निवासी झाड़ौदा कला थाना नजफगढ़ दक्षिण–पश्चिम दिल्ली .....**अपीलार्थी**

बनाम्

1. आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर
2. जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर .....**प्रत्यर्थी.**

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री मुकेश भार्गव
अभिभाषक। .....**अपीलार्थी की ओर से.**

श्री आर.के. अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....**प्रत्यर्थी की ओर से.**

निर्णय दिनांक : 04.01.2016

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आयुक्त आबकारी राजस्थान, उदयपुर के आदेश दिनांक 27.07.2015 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 9(क) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :–

1. अपीलार्थी का एक ट्रक संख्या **HR-63-6045** पुलिस थाना बान्दरसिन्दरी (अजमेर) द्वारा अभियोग संख्या 64 दिनांक 07.09.2005 को राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 19/54 के तहत् अवैध मदिरा परिवहन में लिप्त पाये जाने के आधार पर जब्त किया गया।
2. अपीलार्थी वाहन स्वामी के अधिकार गृहीता के आवेदन पर आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर ने आदेश दिनांक 07.06.2006 से 3 लाख रूपये की शास्ति जमा करवाने की शर्त पर जब्तशुदा वाहन को सुपूर्दगी पर देने के आदेश प्रदान किये।
3. अपीलार्थी के अधिकार गृहीता श्री जिलेसिंह द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान के आदेश दिनांक 07.06.2006 के विरूद्ध अधिनियम की धारा 9(क) के तहत् अपील प्रस्तुत की गयी। आरोपित जुर्माना राशि का 75 प्रतिशत रूपये 2,25,000/– (अक्षरे दो लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) जरिये चालान बैंक में जमा करवाने का साक्ष्य राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा उक्त अपील संख्या 4438/2006 में दिनांक 25.07.2006 को अन्तरिम आदेश जारी कर आबकारी आयुक्त, राजस्थान के आदेश दिनांक

04/01/16

लगातार 2

07.06.2006 पर अस्थायी रोक लगाते हुए वाहन ट्रक सं. **HR-63-6045** अपीलार्थी को सुपूर्दगी पर देने के आदेश प्रदान किये।

4. राजस्व मण्डल, अजमेर के उक्त आदेशों की पालना में आयुक्त आबकारी, राजस्थान, उदयपुर ने पत्र दिनांक 31.07.2006 से वाहन स्वामी के अधिकार गृहीता को वाहन सुपूर्दगी पर देने के आदेश प्रसारित किये एवं आबकारी आयुक्त, राजस्थान के उक्त आदेश के अनुसरण में जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर ने दिनांक 01.08.2006 के पत्र से थानाधिकारी, पुलिस थाना, बान्दरसिन्दरी जिला अजमेर को उक्त ट्रक को अधिकृत वाहन स्वामी को सुपूर्दगी पर देने हेतु निर्देशित किया। अपीलार्थी के कथनानुसार थानाधिकारी ने उक्त निर्देशों की पालना नहीं की एवं जब्तशुदा ट्रक के मूल स्वामी को उपस्थित होने पर बल दिया।

5. राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपील संख्या 4438/2006 का निर्णय 24.05.2007 को किया गया एवं अपीलान्ट की अपील खारिज करते हुए आबकारी आयुक्त, राजस्थान के आदेश दिनांक 07.06.2006 द्वारा आरोपित जुर्माना राशि 3 लाख रूपये को उचित माना। अपीलार्थी अथवा उसके अधिकार गृहीता द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के उक्त निर्णय के विरूद्ध अग्रिम न्यायालय में अपील/रिविजन नहीं दायर की गयी।

6. अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01.06.2015 के जरिये रजिस्टर्ड पत्र आबकारी आयुक्त, राजस्थान को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके अधिकार गृहीता ने 75 प्रतिशत जुर्माना राशि दिनांक 24.07.2006 को जमा करा दी थी। फिर भी वाहन को सुपूर्दगी पर नहीं छोड़ा गया। ट्रक संख्या **HR-63-6045** को जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर द्वारा 08.12.2010 को नीलामी के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया है। अतः नीलामी को अवैध घोषित किया जावें। यदि ट्रक लौटाना सम्भव न हो तो अपीलार्थी द्वारा जमा राशि 2.25 लाख रूपये मय ब्याज लौटायी जावें।

7. आबकारी आयुक्त, राजस्थान ने दिनांक 27.07.2015 को विस्तृत आदेश पारित कर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

8. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। उपराजकीय अभिभाषक ने आबकारी आयुक्त, राजस्थान के आदेश को विधिसम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का अनुरोध किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने पूरजोर बहस करते हुए कहा कि अपीलार्थी के वाहन को सक्षम अधिकारी द्वारा राजसात (Confiscate) करने के आदेश पारित नहीं किये गये थे। अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण संख्या

लगातार 3

376/2014 (518/2007) का निर्णय दिनांक 18.05.2015 को हो चुका है एवं उसे सन्देह का लाभ देकर बरी किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी द्वारा जमा कराये गये रूपये 2,25,000/—मय 12 प्रतिशत ब्याज अपीलार्थी को लौटाने के आदेश प्रदान किये जावें।

9. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं रेकॉर्ड का गहन परीक्षण किया। अपीलार्थी ने आबकारी आयुक्त, राजस्थान द्वारा जारी आदेश दिनांक 31.07.2006 एवं इसकी अनुपालना में जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर द्वारा पुलिस थाना, बान्दर सिन्दरी को ट्रक सुपूर्द करने के लिये लिखे गये पत्र दिनांक 01.08.2006 की पालना थानाधिकारी द्वारा नहीं करने बाबत् कोई जानकारी रेकॉर्ड के अनुसार जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर अथवा आबकारी आयुक्त, राजस्थान को नहीं दी। अपीलार्थी ने उसकी राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निर्णित अपील सं. 4438/2006 निर्णय दिनांक 24.05.2007 की पालना में जुर्माने की शेष राशि भी राजकोष में जमा नहीं करवायी। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी अथवा उसके अधिकार गृहीता ने वर्ष 2006 से 2015 तक जब्तशुदा ट्रक को छुड़वाने के कोई प्रयास नहीं किये। अपील प्रार्थना पत्र में **"खड़क सिंह की लिखित रिपोर्ट"** की जो प्रति प्रस्तुत की गयी है, (प्रदर्श—5) उस पर कोई तिथि अंकित नहीं है। इस लिखित प्रार्थना पत्र, जो कि जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर को सम्बोधित है, के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यह प्रार्थना पत्र ट्रक संख्या **HR-63-6045** की दिसम्बर, 2010 में नीलामी होने के पश्चात् लिखा गया है। अतः सारतः अपीलार्थी ने वर्ष 2006 से वर्ष 2010 एवं ट्रक नीलामी माह 12/2010 के भी 4 वर्ष 6 माह पश्चात् तक सक्षम स्तर से वाहन छुड़वाने के प्रयास ही नहीं किये।

10. अपीलार्थी ने उसके विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण का निर्णय दिनांक 18.05.2015 को होने के पश्चात् आबकारी आयुक्त, राजस्थन को दिनांक 01.06.2015 को रजिस्टर्ड पत्र लिखकर ट्रक की नीलामी राशि 7,21,000/—रूपये उसे दिलवाने की प्रार्थना की। विकल्प के रूप में उसके द्वारा जमा करायी गयीं जुर्माना राशि 2.25 लाख रूपये मय ब्याज लौटाने की भी प्रार्थना की। परन्तु अपीलार्थी ने आपराधिक प्रकरण मे बरी होने के निर्णय दिनांक 18.09.2015 का न तो प्रार्थना पत्र मे कहीं उल्लेख किया, न ही निर्णय की प्रति प्रस्तुत की। जबकि उक्त निर्णय की प्रति न्यायालय से 23.05.2015 को प्राप्त कर ली गयी थी।

11. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 69(8) के प्रावधान निम्न प्रकार से है:—**"जहां प्रवहण के किसी भी साधन का उपरोक्तानुसार विक्रय किया जाता है तो उसके विक्रय के आगामों (Proceeds), उन में से ऐसे विक्रय या निलामी के**

04/01/16

लगातार 4

व्ययों या उससे संबंधित अन्य अनुषंगिक खर्चों की कटौती करने के बाद और अन्य मामलों में प्रहवण का ऐसा साधन जो अभिग्रहीत किया गया था अथवा उसके अधिहरण के बदले में दी गयी जुर्माने की राशि :—

(क) जहां आबकारी आयुक्त अथवा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अन्ततः अधिहरण का कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, या

(ख) जहां अपील में पारित आदेश में ऐसी अपेक्षा हो, या

(ग) जहां इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध कारित किये जाने के संबंध में दायर अभियोजन में, जिसमें इस धारा के अधीन, अधिहरण का आदेश पारित किया गया है, उसमें संबंधित व्यक्ति को दोषमुक्त किया जाता है,

उसके स्वामी को दी जायेगी, लौटायी जायेगी या प्रतिदिन (Refund) की जाएगी। परन्तु इस उप—धारा के अन्तर्गत दी जाने वाली या प्रतिदत्त की जाने वाली राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।"

आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर की पत्रावली में उक्त वाहन ट्रक संख्या **HR-63-6045** को राजसात (Confiscation) करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, न ही उनके निर्णय दिनांक 27.07.2015 में इस तथ्य का कोई उल्लेख है। इससे स्पष्ट विदित है कि उक्त वाहन को अधिग्रहण किये जाने का आदेश विधिवत रूप से नीलामी से पूर्व जारी नहीं किया गया।

चुंकि अपीलार्थी, उसके विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण में दिनांक 18.05.2015 सन्देह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त किया जा चुका है। अतः अधिनियम की धारा 69(8) के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा शास्ति के रूप में जमा करवायी गयी राशि 2,25,000/—(अक्षरे दो लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) 30 दिवस में अपीलार्थी को लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

तद्नुसार अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

04/01/16
(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

4.1.2016
(मदन लाल)
सदस्य